रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 255] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 18, 1970/आषाढ़ 27, 1892
No. 255] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 18, 1970/ASADHA 27, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July 1970

S.O. 2443.—IDRA/29B/70/5.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Industry No. S.O. 3720/29/B/IDRA/66, dated the 29th November, 1966, the Central Government hereby exempts from the operation of section 11A of the said Act and the rules made thereunder, all industrial undertakings registered or in respect of which a licence or permission has been issued under the said Act:

Provided that the above exemption shall not apply to any industrial undertaking—

(i) if the new article or articles to be produced or manufactured by such undertaking exceed twenty-five per cent of the registered or licensed capacity (by value) of the undertaking; or

(ii) if it belongs to or is controlled by any larger industrial house as classified by the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee in the list at Appendix II-A(1) of its Report with such amendments to this list as may be made by Government from time to time; or

(iii) if it is a foreign company or a branch or a subsidiary of a foreign company; or

(iv) if its total assets in land, buildings, plant and machinery exceed rupees five crores; or

(v) if the new article or articles to be produced or manufactured by such undertaking are any of those listed in Schedules I, II, III or IV annexed hereto; or

(vi) if any article or articles for which the undertaking is licensed or registered are one of those listed in Schedule III annexed hereto; or

(vii) if the new article or articles to be produced or manufactured are other than those which belong to allied lines of manufacture namely; involving the same technological process as the article or articles for which the undertaking is registered or licensed; or

(viii) if there is any expenditure of foreign exchange involved directly or indirectly, for import of capital goods, raw materials or components; or

(ix) if manufacture or production of new article or articles involves installation of additional machinery (procured indigenously) of a value exceeding ten per cent of the value of the total installed machinery or rupees ten lakhs, whichever is less; or

(x) if the production of the article or articles for which it is registered or licensed is less than fifty per cent of the productive capacity so registered or licensed.

2. The Central Government specifies a period of three months from the date of publication of this notification as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking engaged in the manufacture or production of any new article or articles in accordance with the notification referred to in paragraph 1 above (No. S.O. 3720/29/B/IDRA/66, dated the 29th November, 1966) shall carry on the business of the undertaking in respect of such new article or articles, except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government and in the case of a State Government, except under, and in accordance with, the previous permission of the Central Government unless the manufacture or production of such new article or articles is covered by the above exemption.

3. The provisions of this notification shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions contained in the Notification No. S.O. 173/IDRA/29B/70/1, dated 19th February, 1970.

SCHEDULE I

(1) Coal falling under '(1) Coal, lignite, coke and their derivatives' under the heading "2. Fuels";

(2) Textiles, falling under the heading '23. Textiles (including those dyed, printed or otherwise processed)' manufactured, produced or processed on power looms;

(3) Roller flour milling falling under '(4) Flour' under the heading '27 Food Processing Industries';

(4) (a) Oil seed crushing, falling under '(1) Vegetable oils, including solvent extracted oils' and, (b) Vanaspathi falling under '(2) Vanaspathi' under the heading '28. Vegetable oils and Vanaspathi';

(5) Leather falling under the heading '31. Leather, Leather Goods and Pickers'; and

(6) Matches falling under '(3) Matches' under the heading '36. Timber Products.'

SCHEDULE II

1. Absorbent Cotton.
2. Automobile Radiators (except for expansion on merits).
3. Barbed Wire.
4. Beam Scale.
5. Bichromates (except for exports).
6. Bolts and Nuts (except High Tensile and other special type).
7. Conduct Pipes—Metallic.
8. Domestic Electric Appliances and Accessories such as electric iron, roasters, heaters, washing machines etc. other than vacuum cleaners industrial washing and dry-cleaning machines etc.

9. Dyes—
 (i) Azo Dyes (Directs and Acids) and
 (ii) Basic Dyes

10 (a) Electrical Wiring Accessories,
 (b) Electrical Light fittings (such as chokes, starters reflectors etc.).

11. Expanded Metal

12 Fireworks.

13 Formulated Perfumery Compounds

14. Full P.V.C Footwear (Chappals, Sandals and Shoes), except for export by predominantly export-oriented units

15 Glass Holloware by semi-automatic process.

16. Gun Metal Bushes

17. Hand Numbering Machines

18. Hand Stapling Machines.

19. Hurricane Lanterns

20. Hypodermic Needles.

21. Insecticide Dusters and Sprayers (Manual).

22 Laundry Soap.

23 Leather Footwear (except for expansion of the existing units for exports and new units for exports).

24. Machine Screws (except for Socket Head and Special Types).

25. Machine Shop Vices.

26. Metal Clad Switches upto 30 Amps.

27. *Miniature Bulbs*:
 (a) Miniature Vacuum Bulbs,
 (b) Torch Bulbs,
 (c) Radio Panel Bulbs,
 (d) Cycle Dynamo Bulbs, and
 (e) Decoration Bulbs

28 Paints and Varnishes—Dry Distempers, Red Lead, Red Oxide, Aluminium Paints, Bitumen Paints to IS Specification, Wagon Blocks, Graphite Paints, all Paste Paints.

29 Palm Rose Oil.

30. Paper Conversion Products

31. Pine Oil (except for composite schemes)

32 Plaster Boards

33 Plastic Processed Products.—

 (i) Bottle Caps, Buttons, Lamp-shade etc, produced by the compression moulding technique.

 (ii) Plastic Articles manufactured from plastic sheets, Rods or Tubes by the fabrication techniques excluding the technique of vacuum forming.

 (iii) Polythelene Films (Films with a thickness of less than 0.10 mm) and products from the Film such as Bags etc. (excluding heavy duty Bags and Multi-coloured printed film and Bags).

 (iv) Blow-moulded Containers and other similar products manufactured by the blow moulding technique (except for captive use, PVC Containers and change over by existing units manufacturing Metal Containers to plastic Containers).

(v) Spectacle Frames from Sheets by fabrication technique or by injection moulding.

(vi) Manufacture of Polyester Sheets for Buttons and the processing of the Sheets so produced to manufacture Buttons.

34. Rivets of all types (including Bifurcated).

35. Rolling Shutters.

36. Roofing, Flooring and Glazed Tiles (except plastic and ceramic tiles of sizes 4"×4" and above).

37. Safety Matches.

38. Steel Wool.

39. Student's Microscopes.

40. Surgical Gloves (except plastic).

41. Telescopic Aerials (for Radio Receivers).

42. Thermometers (upto 150°C).

43. Water Meters.

44. Welded Wire Mesh (except for expansion of existing units).

45. Wire Brushes and Fibre Brushes.

46. Wire Products—all Wire products such as Wire Nails, Hob Nails, Panel Pins, Horse Shoe Nails.

47. Wood Screws.

48. Steel furniture.

49. Cycle tyres and tubes.

50. Mechanical toys.

51. Aluminium utensils.

52. Fountain pens and ball-point pens.

53. Electric horns.

54. Hydraulic jacks below 30 tonnes capacity, and

55. Tooth paste.

SCHEDULE III

(*List of 'Core Industries'*)

1. *Agricultural inputs*:
 - (a) Fertilisers.
 - (i) Nitrogenous.
 - (ii) Phosphatic.
 - (b) Pesticides (basic chemicals only).
 - (c) Tractors and power tillers.
 - (d) Rock-Phosphate and pyrites.
2. *Iron & Steel*:
 - (a) Iron ore.
 - (b) Pig iron and steel.
 - (c) Alloy and special steels.
3. *Non-ferrous metals.*
4. *Petroleum.*
 - (a) Oil exploration and production.
 - (b) Petroleum refining.
 - (c) Selected petro-chemicals.

(i) Integrated petro-chemicals complexes.
(ii) D.M.T.
(iii) Caprolactum.
(iv) Acrylonitrile.
(v) Synthetic rubber.

5. *Cocking coal*

6. *Heavy Industrial machinery*
(i) Paper machinery.
(ii) Chemical machinery.
(iii) Specialised machine tools.
(iv) Rubber machinery.
(v) Printing machinery.

7. *Ship-building and dredgers.*

8. *Newsprint.*

9. *Electronics.*—(Selected electronic components which will be deemed to be in the core sector will be:—)
(i) Resistances, fixed and variable.
(ii) Condensers or Capacitors, fixed and variable.
(iii) Semi-conductors, including diodes, thick-film, thin film, and integrated circuits.
(iv) Transmitting and Receiving Tubes including cathode-ray tubes.
(v) Connectors, switches and relays.
(vi) Sophisticated microwave components and antennas.
(vii) Ferrites and Magnets.
(viii) Thirmisters and Varisters.

SCHEDULE IV

1. Arms and ammunition and allied items of defence equipment.
2. Atomic Energy.
3. Iron and steel.
4. Heavy castings and forgings of iron and steel.
5. Heavy plant and machinery required for iron and steel production, for mining, for machine tool manufacture and for such other basic industries as may be specified by the Central Government.
6. Heavy electrical plant including large hydraulic and steam turbines.
7. Coal and lignite.
8. Mineral oils.
9. Mining of iron ore, manganese ore, chrome ore, gypsum, sulphur, gold and diamond.
10. Mining and processing of copper, lead, zinc, tin, molybdenum and wolfram.
11. Minerals specified in the Schedule to the Atomic Energy (Control of Production and Use) Order, 1953.
12. Aircraft.
13. Air transport.
14. Railway transport.
15. Shipbuilding.
16. Telephones and telephone cables, telegraph and wireless apparatus excluding radio receiving sets).
17. Generation and distribution of electricity.

[No. 13(4)/Lic.Pol./70.]

K. M. RAJPAL, Under Secy.

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1970

का० आ० 2443 आई० डी० आर० ए०/29 बी०/70/5.—उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना स० का० आ० 3726/29/बी० आई० डी० आर० ए०/66, तारीख 29 नवम्बर, 1966 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-क और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन से उन सभी उपक्रमों को जो उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं या जिनकी बाबत अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र जारी किया गया है, एतद्द्वारा छूट देती है ;

परन्तु उपर्युक्त छूट किसी औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होगी —

(i) यदि ऐसे उपक्रम द्वारा उत्पादित या विनिर्मित की जाने वाली नई वस्तु या वस्तुएं उस उपक्रम की (मूल्यानुसार) रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञप्त सामर्थ्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है ; या

(ii) यदि वह किसी ऐसे बड़े औद्योगिक गृह का है या के द्वारा नियंत्रित है जो औद्योगिक अनुज्ञापन नीति जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट के परिशिष्ट 11-क (1) की सूची में, जिसमें इस सूची में ऐसे संशोधन भी सम्मिलित होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर किए जाए वर्गीकृत है ; या

(iii) यदि वह एक विदेशी कम्पनी है या किसी विदेशी कम्पनी की शाखा या समनुषंगी है ; या

(iv) यदि भूमि, भवनों, संयंत्र और मशीनरी में उसकी कुल आस्तियां पांच करोड़ रूपये से अधिक है ; या

(v) यदि ऐसे उपक्रम द्वारा उत्पादित या विनिर्मित की जाने वाली नई वस्तु या वस्तुएं वे हैं जो इससे उपाबद्ध अनसूचियों 1, 2, 3 और 4 में सूचीबद्ध हैं ; या

(vi) यदि ऐसी कोई वस्तु या वस्तुएं जिसके या जिनके लिए वह उपक्रम अनुज्ञप्त या रजिस्ट्रीकृत है, वे हैं जो इससे उपाबद्ध अनुसूची 3 में सूचीबद्ध है ; या

(vii) यदि उत्पादित या विनिर्मित की जाने वाली नई वस्तु या वस्तुएं उनसे भिन्न हैं जो विनिर्माण की सहबद्ध लाइन की हैं अर्थात् जिनमें वही औद्योगिक प्रक्रिया अन्तर्वलित है जो उस वस्तु या उन वस्तुओं के सम्बन्ध में अन्तर्वलित है जिनके लिए उपक्रम अनुज्ञप्त या रजिस्ट्रीकृत है ; या

(viii) यदि पूंजी माल, कच्ची सामग्री या संघटकों के आयात के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा का कोई व्यय अन्तर्वलित है ; या

(ix) यदि नई वस्तु या वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में (देश के अन्दर ही से प्राप्त की गई) ऐसी अतिरिक्त मशीनरी का प्रतिष्ठापन अन्तर्वलित है जिसका मूल्य कुल प्रतिष्ठापित—मशीनरी के मूल्य के दस प्रतिशत से या दस लाख रूपये से, इन से जो भी कम उससे अधिक है ; या

(x) यदि उस वस्तु या उन वस्तुओं का, जिनके लिए वह अनुज्ञप्त या रजिस्ट्रीकृत है, उत्पादन ऐसे रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञप्त उत्पादक सामर्थ्य के पचास प्रतिशत से कम है ।

2. केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की कालावधि को उस कालावधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसकी समाप्ति के पश्चात् उपर्युक्त पैरा । में विनिर्दिष्ट अधिसूचना (सं० का० आ० 3720/29/बी०/आई०डी०आर०ए०/66, तारीख 29 नवम्बर, 1966) के अनुसार किसी नई वस्तु या वस्तुओं के विनिमण या उत्पादन में लगे हुए किसी औद्योगिक उपक्रम का कोई स्वामी, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन या के अनुसार के सिवाय, और राज्य सरकार की दशा में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, तब तक ऐसी नई वस्तु या वस्तुओं की बाबत उस उपक्रम का कारबार नहीं चलाएगा जब तक कि ऐसी नई वस्तु या वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन उपर्युक्त छूट के अन्तर्गत न आता हो ।

3. इस अधिसूचना के उपबन्ध अधिसूचना सं० का० आ० 173/आई० डी० आर० ए०/29बी०/70/1, तारीख 19 फरवरी, 1970 के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे ।

अनुसूची 1

(i) "2 इंधन" शीर्षक के नीचे "(1) कोयला, लिगनाईट कोक और उनकी व्युत्पत्तियां" के अन्तर्गत आने वाला कोयला ।

(ii) "23-शक्तिचालित करघों पर विनिर्मित, उत्पादित या प्रसंस्कृत वस्त्र (जिसके अन्तर्गत रंगे हुए, छपे हुए या अन्यथा प्रसंस्कृत वस्त्र हैं)" शीर्षक के अन्तर्गत आने वाले वस्त्र ;

(iii) "27 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग" शीर्षक के नीचे "(4) आटा के अन्तर्गत आने वाला रोलर फ्लोर मिलिंग ।

(iv) (क) "(1) वनस्पति तेल, जिनके अन्तर्गत विलायक निकाले हुए तेल हैं" के अन्तर्गत आने वाला तिलहन का पेरना; और

(ख) "28 वनस्पति तेल और वनस्पति" शीर्षक के नीचे "(2) वनस्पति" के अन्तर्गत आने वाली वनस्पति ;

(v) "31 चमड़ा, चमड़े का सामान और फिकर" शीर्षक के अन्तर्गत आने वाला चमड़ा ; तथा

(vi) "36 काष्ठ उत्पाद" शीर्षक के नीचे "(3) दियासलाइयां" के अन्तर्गत आने वाली दियासलाइयां ।

अनुसूची 2

1. अवशोषक रुई ।
2. मोटरगाड़ी रेडियेटर (गुणों के आधार पर प्रसार के लिए के सिवाय) ।
3. कंटीला तार ।
4. दंड तुला ।
5. बाइक्रोमेट (निर्यात के लिए के सिवाय) ।
6. बोल्ट और नट (उच्च तनन और अन्य विशेष प्रकार के सिवाय) ।

7. कंडुइट पाइप – धात्विक ।

8. निर्वात क्लीनर, औद्योगिक धुलाई और ड्राई क्लीनिंग मशीनों आदि से भिन्न घरेलू विद्युत साधित्र और उपसाधन जैसे कि विद्युत इस्तरी, रोस्टर, हीटर, धुलाई मशीनें आदि ।

9. रंजक–(i) एंजो रंजक — (डायरेक्ट्स और अम्ल) तथा (ii) आधारिक रंजक ।

10. (क) विद्युत वायरिंग उपसाधन ।

(ख) विद्युत प्रकाश फिटिंग (जैसे कि चोक, स्टार्टर परावर्तक आदि)।

11. प्रसरित धातु ।

12. आतिशबाजी ।

13. निरूपित सुगन्धित सामग्री यौगिक ।

14. पूर्ण पी० वी० सी० जूते (चप्पल, सेण्डल और जूते), निर्यात प्रधान एककों द्वारा निर्यात के लिए बनाए जाने वालों के सिवाय ।

15. अर्ध स्वचालित प्रक्रिया द्वारा बनी शीशे की खोखली वस्तुएं ।

16. गनमेंटल बुर्श ।

17. हाथ से नम्बर लगाने वाली मशीने ।

18. हाथ की स्टैपलिंग मशीनें ।

19. हरीकेन लालटेन ।

20. अधस्त्वचक / सुइयां ।

21. कोटनाशी प्रकीर्णक और छिड़कने के यंत्र (दस्ती) ।

22. लाण्ड्री साबुन ।

23. चमड़े के जूते (निर्यात के लिए विद्यमान एककों के तथा निर्यात के लिए नए एककों के विस्तार के लिए के सिवाय) ।

24. मशीन के पेच (सॉकेट हैड और विशेष प्रकारों के लिए के सिवाय) ।

25. मशीन शाप शिकंजे ।

26. 30 एम्पीयर तक की धातु मढ़ी स्विच ।

27. लघु बल्ब–

(क) लघु निर्वात बल्ब,

(ख) टार्च बल्ब,

(ग) रेडियो पेनल बल्ब,

(घ) साइकल डायनमों बल्ब, और

(ङ) सजावटी बल्ब ।

28. पन्ट और वार्निशें—"सूखे डिस्टेम्पर, रड लैड, रैड आक्साइड, ऐलुमिनियम पेन्ट, बिटुमेन पेन्ट, भारतीय मानक विनिर्देश के अनुसार बेंगन वार्निश, ग्रेफाइट पेन्ट, सभी पेस्ट पेन्ट ।

29. पाम रोज तेल

30. कागज संपरिवर्तित उत्पाद ।

31. चीड़ का तेल (समष्टिक स्कीमों के लिए के सिवाय) ।

32. प्लास्टर बोर्ड

33. प्लास्टिक संसाधित उत्पाद:—

(i) बोतलों के ढक्कन, बटन, लेम्प शेड आदि जिनका संपीडन ढलाई तकनीक द्वारा उत्पादन किया जाता है,

(ii) प्लास्टिक चादरों, छड़ों या ट्यूबों से रचना तकनीक, जिसमें निर्वात करने की तकनीक सम्मिलित नहीं है , के द्वारा विनिर्मित प्लास्टिक की चीजें,

(iii) पोलियीन फिल्में (वे फिल्में जिनकी मोटाई 0.10 मिलीमीटर से अन्यून हो) और फिल्म से बने उत्पाद उदाहरणार्थ थैले आदि (इनमें हैवी ड्यूटी बैग और बहुरंगी छपी हुई फिल्म और थैले सम्मिलित नहीं हैं),

(iv) फंक ढलाई तकनीक द्वारा विनिर्मित फूंक ढालित आधान और अन्य समरूप उत्पाद (कैप्टिव उपयोग के सिवाय पी० वी० सी० आधान और विद्यमान धातु आधान विनिर्माण एककों से प्लास्टिक आधान विनिर्माण एककों में परिवर्तन),

(v) रचना तकनीक द्वारा या अन्तः क्षेपण ढलाई द्वारा चादरों से चश्मों के फ्रेम,

(vi) बटनों के लिए पोलिएस्टर चादरों का विनिर्माण और बटनों के विनिर्माण के लिए इस प्रकार उत्पादित चादरों का संसाधन ।

34. सब प्रकार के रिवेट (इससे द्विशिख रिवेट सम्मिलित हैं)

35. रोलिंग शटर

36. छत की फर्श की, और चमकदार टाइल्स ($4'' \times 4''$ और अधिक के आकार की प्लास्टिक और सिरेमिक टाइल्स के सिवाय),

37. दियासलाइयां

38. स्टील वूल

39. विद्यार्थियों के सूक्ष्मदर्शी

40. सर्जिकल दस्ताने (शल्य चिकित्सा दस्ताने) (प्लास्टिक के सिवाय),

41. टेलेस्कोपिक एरियल (रेडियो रिसीवर के लिए),

42. थर्मामीटर (150° सें० तक) ,

43. पानी के मीटर,

44. वेल्ड की गई तार की जाली (विद्यमान एककों के विस्तार के लिए के सिवाय),

45. तार के ब्रुश और फाइबर–ब्रुश,

46. तार-उत्पाद-तार के सब उत्पाद उदाहरणार्थ तार की कीलें, हाथ कीलें , पेंनस पिन, घोड़े की नाल की कीलें,

47. काठ के पेच

48 इस्पात का फर्नीचर

49 साईकल के टायर और ट्यूब

50 यांत्रिक खिलौने

51 ऐलूमिनियम के बर्तन

52 फाउंटेन और बाल पाइंट पेन

53 विद्युत हार्न

54 30 टन क्षमता से कम के द्रव चालित जैक और

55 टूथ पेस्ट

अनुसूची III

(महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची)

1. **कृषि निवेश** :

(क) उर्वरक

(i) नाइट्रोजन

(ii) फास्फेटी

(ख) नाशि कीटमार (केवल आधारी रसायन)

(ग) ट्रैक्टर और शक्ति टिलर्स

(घ) शैल फास्फेट और पाइराइट

2. **लोहा और इस्पात**

(क) लोह अयस्क

(ख) कच्चा लोहा और इस्पात

(ग) मिश्र धा और विशेष इस्पात

3. **अलोह धातुएं**

4. **पेट्रोलियम**

(क) तेल की खोज और उत्पादन

(ख) पेट्रोलियम परिकरण

(ग) चुने हुए पेट्रोरसायन

5. **कोक कारी कोयला**

6. **भारी उद्योग मशीनरी**

(i) कागज-मशीनरी

(ii) रसायन-मशीनरी

(iii) विशेषत्र औजार

(iv) रबड़-मशीनरी

(v) मुद्रण मशीनरी

7. पोत निर्माण और ड्रेचर

8. अखबारी कागज

9. इलेक्ट्रानिकी (चुने हुए इलेक्ट्रानिक घटक जो महत्वपूर्ण सेक्टर में समझे जाएंगे ये होंगे)–

(1) नियत और परिवर्ती प्रतिरोध

(2) नियत और परिवर्ती प्रतिरोध

(3) अर्धचालक जिसमें डायोड, मोटी फिल्म, पतली फिल्म और समकालित परिपथ सम्मिलित है ।

(4) प्रेषण और ग्राही ट्यूबें जिसमें कैथोडरे ट्यूबें सम्मिलित हैं

(5) योजक, स्विच और रीलें

(6) संखारित सूक्ष्म तंरगी घटक एंटेना

(7) फेराइट और चुम्बक

(8) थर्मिस्टर और वेरिस्टर

अनुसूची 4

1. आयुध और गोला-बारूद और रक्षा उपस्कर की सहबद्ध वस्तुएं ।

2. परमाणु शक्ति ।

3. लोहा और इस्पात ।

4. लोहा और इस्पात की भारी ढलाई और गढ़ाई ।

5. लोहा और इस्पात के उत्पादन, खनन, मशीन औजार विनिर्माण और ऐसे अन्य आधारिक उद्योगों जैसे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के लिए अपेक्षित भारी संयत्र और मशीनरी ।

6. भारी विद्युत संयत्र जिसमें बड़ी द्रवचालित और भाप टरबाइन सम्मिलित हैं ।

7. कोयला और लिग्नाइट ।

8. खनिज तेल ।

9. लोह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, जिपसम, गन्धक, स्वर्ण और हीरे का खनन ।

10. तांबे, सीसे, जस्ते, टिन, मोलिबिडनम और वुलफ्रेम का खनन और संसाधन ।

11. परमाणु शक्ति (उत्पादन का नियंत्रण और उपयोग) आदेश, 1953 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज ।

12. वायुयान ।

13. वायु परिवहन ।

14. रेलवे परिवहन ।

15. पोत निर्माण ।

16. टेलीफोन और टेलीफोन केबल, टेलीग्राफ और बेतार उपकरण (जिसमें रेडियो श्रोता समुच्चय सम्मिलित नहीं है)

17. विद्युत का जनन और वितरण ।

[सं० फा० 13(4)/ ला० पालि/70]

कृष्ण मोहन राजपाल,

अवर सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970